

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
सोमवार 25 जुलाई, 2005/श्रावण 03, 1927 (शक)

संख्या- 105

विषय:- सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित निम्नलिखित संदेश एस.एच.ओ., आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली से प्राप्त हुआ है:-

मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य डॉ. हर्षवर्द्धन, श्री रमेश विधुड़ी, श्री साहब सिंह चौहान एवं डॉ. जगदीश मुखी को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत दिनांक 19.7.2005 को अप. 12.50 बजे पावर हाउस रोड, वेलोड्रम रोड, नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

उन्हें उसी दिन उसी स्थान से 12.55 बजे रिहा कर दिया गया।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II
(General information relating to legislative and other matters)
Monday 25th July, 2005/3 Shravana 1927 (Saka)

No. 105

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from SHO, I.P. Estate, New Delhi:

"I have the honour to inform you that Dr. Harshvardhan, ~~and~~ Ramesh Vidhuri, Shri Sahab Singh Chauhan and Dr. Jagdish Mukhi, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi were detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 from Power House Road, Velodrum Road, New Delhi 1250 Hrs. on 19.7.2005.

They were released at 1255 Hrs. from the same place on the same date."

SIDDHARATH RAO
Secretary